GOVERNMENT OF NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI,
OFFICE OF THE DIVISIONAL COMMISSIONER, DELHI
STAMP & REGISTRATION BRANCH, R.NO. 204-205, "B" BOLCK
5, SHAM NATH MARG, DELHI-110054.

F.1/2857/Regn.Br./Div.Comm./HQ/R/2021/PF-I/ 5452 Dated: 26/2/2021

CERTIFICATE

It is to state that the contents of the soft copy as well as hard copy are same in respect of the notification attached herewith (the soft copy has been sent on e-mail ID: may-gipprr@nic.in, gadegazette.delhi@gov.in) and the same has been approved by the Competent Authority.

Encls: As above

SANJEEV KHIRWAR
Principal Secretary-cum-Divisional Commissioner

(TO BE PUBLISHED IN PART-IV OF THE DELHI GAZETTED EXTRAORDINARY DATED / /2021)
GOVERNMENT OF NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI
REVENUE DEPARTMENT, 5 SHAM NATH MARG, DELHI.

Dated:-26/02/2021

NOTIFICATION

No.F.1(2854)/Regn.Br./Div.Comm./HQ/2020/5453- In exercise of power conferred by rule 4 of the Delhi Stamp (Prevention of Under-Valuation of Instruments) Rules, 2007 read with the Ministry of Home Affairs, Government of India SO1736(No. 2/5/61-Judl-II) dated the 22nd July, 1961 and Notification S.O. 2709 (41/2/66-Delhi), dated the 7th September 1966 and in supersession of this Government's Notification No. F.1(953)/Regn. Br./Div.Com/HQ/2014/5943 dated the 22nd September, 2014, the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi hereby notifies the relaxation in the minimum rates (Circle rates) for valuation of lands and immovable properties in Delhi for the purposes of the said Act and Rules made there under, as specified in Annexure-I annexed to this notification and since it is considered that these minimum rates should be brought into force at once, the Lt. Governor further directs that they shall come into force without previous publication.

The above rates, inter alia, shall be taken into consideration for registration of instruments relating to lands and immovable properties in Delhi by all the Registering Authorities under the provisions of the Indian Stamp Act, 1899 (2 of 1899) and the Indian Registration Act 1908 (XVI of 1908) as in force in Delhi at the time of registration of instruments.

These revised rates shall come into force with immediate effect till 30/09/2021.

By order and in the name of the
Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi

26/2/21

(SANJEEV KHIRWAR)
Principal Secretary cum-Divisional Commissioner (Revenue)
Dated:-26/02/2021

Minimum Rates (Circle Rates) for valuation of land and properties for the purpose of payment of Stamp duty under Indian Stamp Act, as applicable to Delhi & registration fees under the Registration Act, 1908 in Delhi:-

TABLE 1

MINIMUM LAND RATE FOR RESIDENTIAL USE		
Category of the locality	Present minimum rates for valuation of land for residential use (in Rs. Per Sq.Mtr.)	Effective Circle Rates for valuation of land for residential use (in Rs. Per Sq.Mtr.)
A	774000	619200
B	245520	196416
C	159840	127872
D	127680	102144
E	70080	56064
F	56640	45312
G	46200	36960
H	23280	18624

TABLE 2

MINIMUM RATES FOR COST OF CONSTRUCTION FOR RESIDENTIAL USE		
Category of the locality	Present minimum rates of construction for residential use (in Rs. Per Sq.Mtr.)	Effective Circle Rates for valuation of land for residential use (in Rs. Per Sq.Mtr.)
A	21960	17568
B	17400	13920
C	13920	11136
D	11160	8928
E	9360	7488
F	8220	6576
G	6960	5568
H	3480	2784

TABLE 3

MINIMUM RATES FOR COST OF CONSTRUCTION FOR COMMERCIAL USE		
Category of the locality	Present minimum rates of construction for commercial use (in Rs. Per Sq.Mtr.)	Effective Circle Rates for valuation of land for residential use (in Rs. Per Sq.Mtr.)
A	25200	20160
B	19920	15936
C	15960	12768
D	12840	10272
E	10800	8640
F	9480	7584
G	8040	6432
H	3960	3168

TABLE 4

MINIMUM RATES OF BUILT-UP FLATS UPTO FOUR STOREY				
Category of flats depending on plinth area (sq.mtr.)	Present minimum built-up rate (in rupees per sq. mtr.) for DDA colonies and Group Housing Society (in case of residential use)	Proposed minimum built-up rate (in rupees per sq. mtr.) for DDA colonies and Group Housing Society (in case of residential use)	Present minimum built-up rate (in rupees per sq. mtr.) for DDA colonies / Cooperative Housing Societies / flats by private builders (in case of commercial use)	Proposed minimum built-up rate (in rupees per sq. mtr.) for DDA COLONIES / Cooperative Housing Societies / flats by private builders (in case of commercial use)
Upto 30 sq. mtr.	50400	40320	57840	46272
Above 30 and upto 50 sq. mtr.	54480	43584	62520	50016
Above 50 and upto 100 sq. mtr.	66240	52992	75960	60768
Above 100 sq. mtr.	76200	60960	87360	69888

TABLE 5

MINIMUM RATES OF BUILT-UP FLATS HAVING MORE THAN FOUR STOREYS		
Category of Property	Present minimum built-up rate (in rupees per sq. mtr.)	Effective minimum built-up rate (in rupees per sq. mtr.)
Residential	87,840/-	70,272/-
Commercial	1,00,800/-	80,640/-

- The Multiplying factors applicable to the various categories as notified by the notification No. F.1/953/Regn.Br./Div.Comm./HQ/R/2014/5943 dated 22/09/2014 shall continue to apply even after 20% envisaged reduction in the Circle Rates.

Note- where part plinth area, say one floor, of an independent property other than a flat is sold, the relevant minimum land cost may be taken for the proportionate plinth area sold, and minimum cost of construction applied on plinth area sold.

(SANJEEV KHIRWAR)
Principal Secretary cum-Divisional Commissioner (Revenue)

No.F.1(2854)/Regn.Br./Div.Comm./HQ/2020/5453 Dated:-26/02/2021

Copy to:-

1. The Pr. Secretary to L.G Delhi.
2. The Principal Secretary to the Chief Minister, Delhi.
3. The Pr. Secretary (GAD), Govt. of NCT of Delhi with one spare copy for its publication in Delhi Gazette Part-IV (extraordinary).
4. The Secretary, Govt. of India Ministry of Home Affairs, North Block, New Delhi.
5. The Secretary to Finance Minister, Govt. of NCT of Delhi.
6. The Secretary to Revenue Minister, Govt. of NCT of Delhi
7. OSD to Chief Secretary, Delhi
8. The Pr. Secretary (Finance), Govt. of NCT of Delhi, Delhi Secretariat, New Delhi.
9. All Dy. Commissioners (Revenue), ADMs, SDMs, Sub-Registrars/DIOs.
10. State Informatics Officer, NIC, Delhi Secretariat, Delhi.
11. PS to Divisional Commissioner, Delhi
12. System Analyst with the request to make necessary changes in DORIS program and also upload the notification on the web site of Revenue Department, GNCT of Delhi.
13. Consultant (Revenue).
14. Guard file.

(SANJEEV KHIRWAR)
Principal Secretary cum-Commissioner (Revenue)

(दिल्ली राजपत्र (असाधारण) के भाग IV में प्रकाशनार्थ)
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार
राजस्व विभाग, 5–शाम नाथ मार्ग, दिल्ली

Dated:-26/02/2021

अधिसूचना

सं0फा 1 (2854)/पंजी0 शाखा/मंडलीय आयुक्त/मुख्यालय/2020/5458 – गृह मंत्रालय, भारत सरकार की दिनांक 22 जुलाई, 1961 के एसओ 1736 (सं0 2/5/61 – न्याय – II) तथा दिनांक 07 सितंबर, 1966 की अधिसूचना एसओ 2709 (41/2/66 –दिल्ली) के साथ पठित दिल्ली स्टाम्प (लिखित अवमूल्यांकन रोकथाम) नियमावली, 2007 के नियम 4 द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए तथा और इस सरकार की 22 सितंबर, 2014 की अधिसूचना सं0फा 1 (953)/पंजी0 शाखा/मंडलीय आयुक्त/मुख्यालय/2020/5943 के अधिक्रमण में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल एतद्द्वारा उक्त अधिनियम तथा इसके अन्तर्गत बनाये गये नियमों के प्रयोजन के लिए दिल्ली में भूमि के मूल्यांकन तथा अचल संपित्तियों के लिये न्यूनतम दरों (सर्किल दरों) में छूट को अधिसूचित करते हैं, इस अधिसूचना के साथ संलग्न संलग्नक–I में यथाविनिर्दिष्ट, और चूंकि यह माना जाता है कि इन न्यूनतम दरों को तुरन्त लागू किया जाना चाहिए, उपराज्यपाल आगे निर्देश देते हैं कि वे पूर्व प्रकाशन के बिना लागू होंगे।

भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (1899 का 2) और भारतीय पंजीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का XVI) के प्रावधानों के तहत सभी पंजीकृत अधिकारियों द्वारा दिल्ली में भूमि, अचल संपत्तियों से संबंधित प्रलेखों के पंजीकरण के समय दिल्ली में लागू करने के लिए उपरोक्त दरों पर विचार किया जायेगा।

ये संशोधित दरें 30/09/2021 तक तत्काल प्रभाव से लागू होंगी।

दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी के उपराज्यपाल के आदेश से
और उनके नाम पर,

(संजीव खिरवार)
प्रधान सचिव–सह–मंडलीय–आयुक्त (राजस्व)
दिनांक :-26/02/2021

भारतीय स्टाम्प अधिनियम के अन्तर्गत स्टाम्प शुल्क के भुगतान के उद्देश्य के लिये भूमि और संपत्तियों के मूल्यांकन के लिये न्यूनतम दरें (सर्किल दरें), दिल्ली में पंजीकरण अधिनियम, 1908 के अन्तर्गत दिल्ली एवं पंजीकरण शुल्क पर यथा लागूः–

तालिका–1

आवासीय प्रयोग हेतु न्यूनतम भूमि दरें		
इलाके की श्रेणी	आवासीय प्रयोग के लिये भूमि के मूल्यांकन की वर्तमान न्यूनतम दरें (रुपये प्रति वर्ग मीटर में)	आवासीय प्रयोग के लिये भूमि के मूल्यांकन हेतु प्रभावी सर्किल दरें (रुपये प्रति वर्ग मीटर में)
ए	774000	619200
बी	245520	196416
सी	159840	127872
डी	127680	102144
ई	70080	56064
एफ	56640	45312
जी	46200	36960
एच	23280	18624

तालिका–2

आवासीय उपयोग के लिये निर्माण लागत की न्यूनतम दरें		
इलाके की श्रेणी	आवासीय प्रयोग के लिये निर्माण की वर्तमान न्यूनतम दरें (रुपये प्रति वर्ग मीटर में)	आवासीय प्रयोग के लिये भूमि के मूल्यांकन हेतु प्रभावी सर्किल दरें (रुपये प्रति वर्गमीटर में)
ए	21960	17568
बी	17400	13920
सी	13920	11136
डी	11160	8928
ई	9360	7488
एफ	8220	6576
जी	6960	5568
एच	3480	2784

तालिका–3

व्यावसायिक उपयोग के लिये निर्माण लागत की न्यूनतम दरें		
इलाके की श्रेणी	व्यावसायिक उपयोग के लिए निर्माण की वर्तमान न्यूनतम दरें (रूपये प्रति वर्ग मीटर में)	आवासीय उपयोग हेतु भूमि के मूल्यांकन के लिये प्रभावी सर्किल दरें (रूपये प्रति वर्ग मीटर में)
ए	25200	20160
बी	19920	15936
सी	15960	12768
डी	12840	10272
ई	10800	8640
एफ	9480	7584
जी	8040	6432
एच	3960	3168

तालिका–4

चार तलों तक निर्मित फलैटों की न्यूनतम दरें				
कुरसी क्षेत्र के आधार पर फ्लैट की श्रेणी (वर्ग मीटर)	दिल्ली विकास प्राधिकरण कॉलोनियों और ग्रुप हाउसिंग सोसायटी (आवासीय उपयोग के मामले में) के लिए वर्तमान न्यूनतम निर्मित दर (रुपये प्रति वर्ग मीटर में)	दिल्ली विकास प्राधिकरण कॉलोनियों और ग्रुप हाउसिंग सोसायटी (आवासीय उपयोग के मामले में) के लिए प्रस्तावित वर्तमान न्यूनतम निर्मित दर (रुपये प्रति वर्ग मीटर में)	दिल्ली विकास प्राधिकरण कॉलोनियों/सहकारी आवास समितियों/ प्राईवेट बिल्डिरों के फ्लैटों (व्यावसायिक उपयोग के मामले में) वर्तमान न्यूनतम दर (रूपये प्रति वर्ग मीटर)	दिल्ली विकास प्राधिकरण कॉलोनियों/सहकारी आवास समितियों/ प्राईवेट बिल्डिरों के फ्लैटों (व्यावसायिक उपयोग के मामले में) प्रस्तावित न्यूनतम दर (रूपये प्रति वर्ग मीटर)
30 वर्ग मीटर तक	50400	40320	57840	46272
30 से ऊपर तथा 50 वर्ग मीटर तक	54480	43584	62520	50016
50 से ऊपर तथा 100 वर्ग मीटर तक	66240	52992	75960	60768
100 वर्ग मीटर से ऊपर	76200	60960	87360	69888

<u>तालिका–5</u>

चार तलों से अधिक वाले तक निर्मित फलैटों की न्यूनतम दरें		
संपत्ति की श्रेणी	वर्तमान न्यूनतम निर्मित दर (रुपये प्रति वर्ग मीटर में)	प्रभावी न्यूनतम निर्मित दर (रुपये प्रति वर्ग मीटर में)
आवासीय	87,840/-	70,272/-
व्यावसायिक	1,00,800/-	80,640/-

- दिनांक 22/9/2014 की अधिसूचना संख्या फा0 1 (953)/पंजी0 शाखा/मंडलीय आयुक्त/मुख्यालय/आर/2014/5943 के द्वारा यथा अधिसूचित विभिन्न श्रेणियों के गुणक कारक सर्किल दरों में 20 प्रतिशत की परिकल्पित कटौती के बाद भी निरन्तर लागू होंगे।

टीपः– जहां फ्लैट के अलावा किसी स्वतंत्र सम्पत्ति का एक भाग कुरसी क्षेत्र जैसे एक फ्लोर बेचा जाता है तो सम्बन्धित न्यूनतम भूमि लागत बेचे गये अनुपातिक कुरसी क्षेत्र के लिए लगाई जायेगी तथा बेचे गये कुरसी क्षेत्र पर न्यूनतम निर्माण लागत प्रयोग की जायेगी ।

(संजीव खिरवार)
प्रधान सचिव–सह–मंडलीय–आयुक्त (राजस्व)

सं0फा 1 (2854)/आरईजीएन0 शाखा/मंडलीय आयुक्त/मुख्यालय/2020/5453 Dated:-26/02/2021

प्रतिलिपि निम्न को अग्रसारित :–

1. प्रधान सचिव, उपराज्यपाल, दिल्ली।
2. प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री, दिल्ली।
3. प्रधान सचिव (सा0प्र0वि0), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार को दिल्ली राजपत्र भाग–4 असाधारण में प्रकाशनार्थ एक अतिरिक्त प्रति सहित।
4. सचिव, गृह मंत्रालय, भारत सरकार, नार्थ ब्लाक, नई दिल्ली।
5. सचिव, वित्त मंत्री, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली।
6. सचिव, राजस्व मंत्री, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली।
7. मुख्य सचिव के विशेष कार्याधिकारी, दिल्ली।
8. प्रधान सचिव (वित्त), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली।

9. समस्त उपायुक्त (राजस्व), ए0डी0एम, एस0डी0एम0, उप–पंजीयक, डीआईओ।

10. स्टेट इन्फोर्मेटिक्स् अधिकारी, एनआईसी, दिल्ली सचिवालय, दिल्ली।

11. नि. सं. मंडलीय आयुक्त, दिल्ली।

12. सिस्टम विश्लेषक को डीओआरआईएस प्रोग्राम में आवश्यक परिवर्तन एवं अधिसूचना को राजस्व विभाग, दिल्ली सरकार की वेबसाइट पर अपलोड करने के अनुरोध सहित।

13. परामर्शदाता (राजस्व)।

14. गार्ड फाईल।

(संजीव खिरवार)
प्रधान सचिव–सह–मंडलीय–आयुक्त (राजस्व)